<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)</u>

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला न्यायालय परिसर, ग्वालियर (म.प्र.) के लिए वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु प्रायवेट एजेंसीज/फर्म/उम्मीदवार से प्रस्ताव आमंत्रित हैं। वाहन स्टेण्ड संचालक इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से 07.07.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के नजारत अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 500/– (पॉच सौ रूपये) का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्ते एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2023 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 08.07.2023 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगीं एवं प्री विड मीटिंग दिनांक 24.06.2023 को रखी जाना है। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

13.6.23

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
ग्वालियर

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)

वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता का नाम : ....

पता : ....

....

मोबाईल नं. : ....

आधार कार्ड नं. : ....

पेन कार्ड नं. : ....

उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तोः ....

संस्था का रजिस्ट्रेशन यदि हो तोः ....

जीएसटी प्रमाण पत्र यदि हो तोः ....

वाहन स्टेण्ड हेतु निविदाकर्ता द्वाराः ....
अपनी ओर से लगाई गई वार्षिक
वोली राशि (अंको एवं शब्दों में) ....

....

(उक्त वोली की राशि न्यूनतम 200000/– से कम नहीं होनी चाहिये)

आवश्यक शर्ते

1– निविदा सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समय में प्राप्त की जायेगीं।

2– साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :–

1.	साईकिल	–	2 रूपये
2.	स्कूटर/दो पहिया वाहन	–	10 रूपये
3.	तीन/चार पहिया वाहन	–	20 रूपये

3– जिला न्यायालय ग्वालियर/सिविल न्यायालय डबरा/भितरवार के न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय अभिभाषक, अभिभाषक से कोई वाहन शुल्क वसूलनीय नहीं होगा, उनके लिए पास जारी करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की रहेगी।

4– अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) रूपये 100000/– (एक लाख) की एफडीआर/डीडी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से

निविदा के साथ मूलतः जमा करना होगी। जिस निविदाकर्ता की निविदा निरस्त होगी, उसकी उक्त अमानत राशि लौटा दी जायेगी।

5— वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध गृहिता की होगी।

6— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होगें।

7— प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

8— वार्षिक अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

09— वाहन स्टेण्ड का ठेका अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष के लिये किया जावेगा।

10— वाहन स्टेण्ड की न्यूनतम वार्षिक शुल्क राशि 200000/— रूपये निर्धारित की गई है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

11— जिस निविदाकर्ता द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क सम्पूर्ण निविदाकर्ताओं से अधिक दर्शाया जायेगा एवं समस्त शर्ते स्वीकार होगीं उसकी निविदा पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदा की 50 प्रतिशत राशि तत्काल एवं 50 प्रतिशत राशि 6 माह पूर्ण होने के पूर्व तक डीडी/चेक के माध्यम से एक मुश्त जमा की जावेगी। राशि अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासन हित में राजसात की जावेगी।

12— वाहन स्टेण्ड परिसर में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेगें जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

13— ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।

14— किसी भी प्रकार की वाहन स्टेण्ड पर असमाजिक गतिविधियों में निविदाकर्ता के संलिप्त पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा एवं जमा अमानत/अनुज्ञा राशि राजसात कर ली जावेगी।

15— निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड पर साफ—सफाई रखी जावेगी एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक रूप से सीसीटीव्ही कैमरे स्वयं के व्यय पर लगाये जायेगें, जिसके रख—रखाव का व्यय भी निविदाकर्ता ही वहन करेगा।

16— ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा।

17— निविदाकर्ता को उक्त ठेका अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष के लिये मान्य होगा एवं अनुबंध आपसी समझौते पर एवं निविदाकर्ता के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन संशोधित दरों पर आगामी 01 और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता

है।

18– निविदाकर्ता म0प्र0 का मूलनिवासी होना आवश्यक है।

19– निविदा फार्म जिला न्यायालय ग्वालियर से कार्यालयीन समय पर दिनांक 07.07.2023 तक 500/– (पॉच सौ) रुपये डीडी/नगद जमा कर उसकी रसीद के साथ जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं उप. स्थित अथवा डाक के माध्यम से जमा कराई जा सकती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 08.07.2023 को निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 2.00 बजे जिला न्यायालय ग्वालियर में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जावेगीं एवं प्री विड मीटिंग 24.06.2023 को रखी जाना है। निविदा फार्म जिला न्यायालय ग्वालियर से अथवा रजिस्ट्री जबलपुर की वेवसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gow.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.districts.ecourts. gov.in /gwalior पर से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

20– निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से उनके दूरभाष नं. 9826586446 पर संपर्क किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर